<u>खाद्य सुरक्षा अपीलीय अधिकरण, जयपुर (राजस्थान)</u>

एफए. प्रकरण संख्या : 0066 / 2017

1. Shri Lalit Rampuria S/o Shri Parasmal Rampuria (Seller and Manager) M/s Vardhman, Ambedkar Circle, Bikaner, R/o Gangasahar Road, Bikaner.
2. Parasmal Rampuria (Owner), M/s Vardhman, Ambedkar Circle, Bikaner, R/o Gangasahar Road, Bikaner.

...Appellants

Versus

1. State of Rajasthan, through Commissioner, Food Safety, Swasthaya Bhawan, Jaipur.
2. Food Safety Officer Murari Lal Sharma, Office of Chief Medical & Health Officer, Bikaner.

...Respondents

उपस्थितः—

1. श्री मयंक गुप्ता अधिवक्ता अपीलार्थी
2. श्री वी.डी. गठाला राजकीय अधिवक्ता प्रत्यर्थी राज्य

:: निर्णय :: **दिनांक : 09.07.2018**

1. यह अपील योग्य न्याय निर्णायक अधिकारी, बीकानेर के आदेश दिनांक 31.05.2016 से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है जो उनके द्वारा उनके प्रकरण संख्या 29 / 2015 मुरारीलाल बनाम ललित रामपुरिया वगैरा में पारित किया गया जिसके द्वारा अपीलान्ट को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 (2)ii के उल्लंघन का दोषी मानते हुए अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत 1,00,000 रूपये (अक्षरे एक लाख रूपये) की शास्ति अधिरोपित की गई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इसप्रकार है कि दिनांक 12.05.2015 को तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपीलार्थी के यहां से वनीला आईसक्रीम का सैम्पल जांच हेतु खरीद किया जो बाद जांच सही मानक का नहीं पाया गया।

3. तथ्यों के अनुसार यह बताया गया कि आईसक्रीम में मिल्क फेट न्यूनतम 10 प्रतिशत होना चाहिए था जबकि सैम्पल में 6.12 प्रतिशत था। अपीलार्थी का यह जवाब रहा है कि वह गांवों से दूध खरीद करता है, उसकी गुणवत्ता के कारण ऐसा हुआ है, उसकी तरफ से कोई मिलावट नहीं की गई है। पदार्थ स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं माना गया है।

4. अपील मुख्यतः शास्ति के विरूद्व है, अधिरोपित की गई शास्ति अत्यधिक है और छोटा व्यापारी है। अपीलार्थी को धारा 31 की उपधारा 02 के अन्तर्गत लाभ प्रदान किया जाए।

4. प्रत्यर्थी की ओर से आलौच्य आदेश की संपुष्टि किए जाने का निवेदन किया।

5. बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया। सुसंगत विधि का विवेचन किया।

6. प्रकरण के समस्त तथ्यों, परिस्थतियों को देखते हुए शास्ति के बिन्दु पर अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है।

:: आदेश ::

अतः अपील आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए आलौच्य आदेश जोकि प्रकरण संख्या 29/2015 मुरारीलाल बनाम ललित रामपुरिया आदि में पारित किया गया जिसके द्वारा अपीलार्थी को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 (2)ii के उल्लंघन का दोषी मानते हुए अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत उसपर 1,00,000 रूपये (अक्षरे एक लाख रूपये मात्र) की शास्ति आरोपित की गई, उसके स्थान पर 40,000रूपये (अक्षरे चालीस हजार रूपये) की शास्ति अधिरोपित की जाती है, शेष आदेश यथावत रहेगा। अपीलार्थी अधिरोपित शास्ति जमा कराकर रसीद पेश करे। निर्णय की एक प्रति अपीलार्थी को निःशुल्क प्रेषित की जावे।

(उमेश कुमार शर्मा)
पीठासीन अधिकारी
खाद्य सुरक्षा अपीलीय अधिकरण
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 09.07.2018 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(उमेश कुमार शर्मा)
पीठासीन अधिकारी
खाद्य सुरक्षा अपीलीय अधिकरण
जयपुर